

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अध्याय-2

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 परिचय

2.1.1 विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों के निर्दिष्टानुसार विभिन्न उद्देश्यार्थ दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे हैं। ये लेखे मूल बजट आकलनों, अनुपूरक अनुदानों, अध्यर्पणों तथा पुनर्विनियोजनों को पृथक रूप से सूचीबद्ध करते हैं तथा बजट की दोनों प्रभारित व दत्तमत मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा अधिकृत की तुलना में विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखे वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधान के अनुश्रवण को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए ये वित्त लेखे के सम्पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित करने के लिए देखा जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तव में विनियोजन अधिनियम के अन्तर्गत किए गए अनुमोदन के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अंतर्गत प्रभारित किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के अनुसार प्रभारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि क्या इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

लेखापरीक्षा में ध्यान में आई बजट एवं व्यय प्रबन्धन तथा बजट नियमावली के उल्लंघन से सम्बन्धित कमियों की अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.2 विनियोजन लेखे का सारांश

वर्ष 2011-2012 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-2.1 में नीचे दी गई है:

तालिका-2.1

मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
दत्तमत					
I राजस्व	13307.83	248.39	13556.22	13475.37	(-) 80.85
II पूँजीगत	1535.51	407.44	1942.95	1870.50	(-) 72.45
III ऋण एवं अग्रिम	207.22	156.05	363.27	492.98	(+) 129.71
कुल दत्तमत	15050.56	811.88	15862.44	15838.85	(-) 23.59
प्रभारित					
IV राजस्व	2184.24	5.26	2189.50	2165.05	(-) 24.45
V पूँजीगत	--	4.89	4.89	4.89	--
VI लोक ऋण- चुकौती	960.84	138.40	1099.24	1127.72	(+) 28.48
कुल प्रभारित	3145.08	148.55	3293.63	3297.66	(+) 4.03
आकस्मिकता निधि को विनियोजन (यदि कोई हो)					
सकल जोड़	18195.64	960.43	19156.07	19136.51	(-) 19.56

* निधियों के उपयोग में कमी

स्रोत: विनियोजन लेखे

वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत पंजीकृत ₹19.56 करोड़ की समग्र बचत/अप्रयुक्त राशि, राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत दो अनुदानों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत चार अनुदानों व एक विनियोजन में ₹752.51 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया, राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत 30 अनुदानों व छः विनियोजनों तथा पूंजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत 21 अनुदानों में ₹772.07 करोड़ की बचत के फलस्वरूप था।

वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के प्रति ₹25 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण बचतें भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन (राजस्व-दत्तमत), पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन (राजस्व-दत्तमत), शिक्षा (राजस्व-दत्तमत), वन एवं वन्य प्राणी (राजस्व-दत्तमत), ग्रामीण विकास (राजस्व-दत्तमत), जनजातीय विकास (राजस्व-दत्तमत) तथा लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन (पूंजीगत-दत्तमत) में पाई गई। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के प्रति आवंटनों की तुलना में महत्वपूर्ण अधिक व्यय लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन (राजस्व-दत्तमत), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता (राजस्व-दत्तमत), योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (पूंजीगत-दत्तमत), विद्युत विकास (पूंजीगत-दत्तमत) एवं वित्त (पूंजीगत-प्रभार) में पाया गया।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश द्वारा सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों से 713 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में बचतों/आधिक्यों के लिए कारण मांगे गये थे (जुलाई 2012)। इसमें से 330 उप-शीर्षों (बचत: 164 उप-शीर्षों; आधिक्य: 166 उप-शीर्षों) के सम्बन्ध में विभिन्नता हेतु स्पष्टीकरण सितम्बर 2012 तक प्रतीक्षित थे।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 व्यय की तुलना में विनियोजन

विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से पता चलता है कि 38 मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ तक बढ़ गई तथा तीन मामलों में कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक रही (परिशिष्ट-2.1)। ₹772.07 करोड़ की कुल बचतों में से चार अनुदानों से सम्बन्धित मात्र चार मामलों में ₹396.96 करोड़ (51 प्रतिशत) की खासी बचत हुई जहां बचत प्रत्येक मामले में ₹50 करोड़ से अधिक थी जैसा कि तालिका-2.2 में नीचे इंगित है:

तालिका-2.2

₹50 करोड़ से अधिक की बचतों सहित अनुदानों/विनियोजनों की सूची

(₹ हजार में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल	अनुपूरक	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व-दत्तमत						
1.	05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	4145088	41569	4186657	3531117	655540 अथवा ₹65.56 करोड़
2.	08-शिक्षा	29194082	11	29194093	27142999	2051094 अथवा ₹205.11 करोड़
3.	20-ग्रामीण विकास	3859055	1	3859056	3108325	750731 अथवा ₹75.07 करोड़
पूंजीगत-दत्तमत						
4.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	3835400	1025960	4861360	4349143	512217 अथवा ₹51.22 करोड़
योग		41033625	1067541	42101166	38131584	3969582 अथवा ₹396.96 करोड़

स्रोत: विनियोजन लेखे

बचतों के लिए कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

2.3.2 स्थायी/निरंतर बचतें

तीन मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की स्थायी/निरंतर बचतें थी; विवरण तालिका-2.3 में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.3

2007-12 के दौरान स्थायी/निरंतर बचतों के साथ अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान की संख्या व नाम	बचत की राशि				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व-दत्तमत						
1.	03-याय प्रशासन	1.47	3.66	2.84	16.51	15.96
2.	15-योजना तथा पिछ़ड़ा क्षेत्र उप-योजना	8.83	15.06	9.99	7.78	9.43
पूँजीगत-दत्तमत						
3	29-वित्त	14.76	2.32	4.19	1.84	1.67

यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण को इंगित करता है। सरकार से सभी अनुदानों के स्थायी/निरंतर बचतों के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

2.3.3 अधिक व्यय

5 मामलों में ₹5266.35 करोड़ का कुल व्यय अनुमोदित प्रावधानों से प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान (तीन मामले) के 20 प्रतिशत से अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹752.46 करोड़ का अधिक व्यय हुआ (परिशिष्ट-2.2)। विभागों से अधिक व्यय के लिए कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

निम्नलिखित दो मामलों में गत पांच वर्षों में निरन्तर अधिक व्यय पाया गया जैसा कि तालिका-2.4 में नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2.4

2007-12 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय को इंगित करने वाली अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	अधिक व्यय की राशि				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व-दत्तमत						
1.	10-लोक निर्माण-सड़के, पुल एवं भवन	126.38	134.46	215.36	219.60	221.99
2.	13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	275.92	340.76	236.55	586.72	350.71

निरन्तर अधिक व्यय प्रदर्शित करता है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे। इस प्रकार एक सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के लिए इन शीर्षों के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता का निर्धारण अधिक व्यय के ऐसे दृष्टांतों की पुनरावृत्ति से बचने हेतु अधिक यथार्थवादी होना चाहिए।

2.3.4 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार निधियों के प्रावधान के बिना स्कीम/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि 12 मामलों में मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में बिना किसी प्रावधान तथा इस आशय के बिना किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के ₹526.10 करोड़ का व्यय किया गया जैसा कि तालिका-2.5 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-2.5

2011-12 के दौरान बिना प्रावधान के किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या व नाम	बिना प्रावधान के व्यय राशि	टिप्पणियां
03-न्याय प्रशासन			
1.	2070/00/105/01	0.10	कारण प्रतीक्षित थे
05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन			
2.	2245/02/101/01	25.41	
3.	2245/02/107/01	7.68	
4.	2245/02/108/01	1.07	
07-पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन			
5.	2070/106/04	0.19	कारण प्रतीक्षित थे
19-सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण			
6.	2235/60/200/11	0.75	कारण प्रतीक्षित थे
29-वित्त			
7.	2049/01/122/01	475.72	
8.	7610/00/201/01	0.04	
9.	7610/00/201/03	0.10	
10.	7610/00/202/01 एवं 04	0.07	
31-जनजातीय विकास			
11.	2215/01/796/04, 05 एवं 06	8.31	
12.	2702/80/796/08, 09 एवं 10 योग	6.66 526.10	कारण प्रतीक्षित थे

2.3.5 बजट अनुदान को व्यगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण

हिमाचल प्रदेश खजाना नियमावली के नियम 5.71 (सी)(५) अनुबद्ध करता है कि खजाने से धन का आहरण नहीं किया जाएगा, जब तक तत्काल वितरणार्थ आवश्यक न हो। निम्नवत् मामलों के सम्बन्ध में आहरित राशियां न तो निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु खर्च की गई और न ही वित्तीय वर्ष 2011-12 के समाप्तन से पूर्व खजाना में प्रत्यर्पित की गईः

2.3.5.1 अप्रयुक्त राशियां

मुख्य चिकित्सा अधिकारी किनौर द्वारा (मार्च 2003-मार्च 2012) ₹1.08 करोड़ की राशि 10 कार्यों¹ के निष्पादन हेतु आहरित की गई लेकिन कार्यकारी एजेन्सी (लोक निर्माण विभाग) द्वारा मई 2012 तक भूमि की उपलब्धता न होने के कारण राशि अप्रयुक्त रही।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी द्वारा (दिसम्बर 2009-जनवरी 2011) 9 कार्यों² के निष्पादन हेतु ₹1.65 करोड़ आहरित किये गये, लेकिन कार्यकारी एजेन्सी (लोक निर्माण विभाग) द्वारा राशि मार्च 2012 तक, औपचारिकताओं के पूरा न होने (पांच मामलों) और भूमि की उपलब्धता न होने (चार मामलों) के कारण अप्रयुक्त रही।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर स्थित नाहन द्वारा (मार्च 2009-मार्च 2011) ₹2.95 करोड़ 20 कार्यों³ के

¹ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (1): ₹0.08 करोड़; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (4): ₹0.65 करोड़; क्षेत्रीय अस्पताल (2): ₹0.22 करोड़; एवं आवासीय रिहायश (3) ₹0.13 करोड़

² स्टॉफ क्वार्टर्स (7): ₹1.45 करोड़ एवं स्वास्थ्य उप-केन्द्रों का निर्माण (2): ₹0.20 करोड़

³ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (2): ₹0.35 करोड़; स्वास्थ्य उप-केन्द्र (12): ₹0.92 करोड़; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (5): ₹0.93 करोड़ एवं क्षेत्रीय अस्पताल (1): ₹0.75 करोड़

निष्पादन हेतु आहरित किये गये, लेकिन कार्यकारी एजेन्सी (लोक निर्माण विभाग) द्वारा फरवरी 2012 तक भूमि की अनुपलब्धता (सात मामले), निविदा/कार्य प्रदान करने को अन्तिम रूप न दिया जाना (पांच मामलों), संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन/वित्तीय संस्थीकृति का प्राप्त न होना (पांच मामलों) संशोधित नक्शे का अनुमोदन प्राप्त न होना (एक मामले) तथा पुराने कार्यस्थल का खण्डकरण न होने (दो मामलों) के कारण राशि अप्रयुक्त रही।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना द्वारा (फरवरी 2010-जून 2011) तीन कार्यों⁴ के निष्पादन हेतु ₹1.55 करोड़ आहरित किये गये, लेकिन जून 2012 तक भूमि की उपलब्धता न होने के कारण राशि कार्यकारी एजेन्सी (लोक निर्माण विभाग) के पास अप्रयुक्त रही।

2.3.5.2 अनावश्यक निधि आहरण

पांच मण्डलों⁵ के अभिलेखों की संक्षीक्षा से उद्घाटित हुआ है (अगस्त 2011-जनवरी 2012) कि इन मण्डलों द्वारा 37 निक्षेप कार्यों⁶ के निष्पादनार्थ जनवरी 2003 व नवम्बर 2010 के मध्य विभिन्न विभागों/एजेन्सियों से प्राप्त ₹2.60 करोड़ स्पष्ट कार्यस्थल की अनुपलब्धता और उपयुक्त कार्यस्थल को अन्तिम रूप न दिये जाने जैसे कारणों से कार्यों के आरम्भ न होने के कारण अप्रयुक्त रहे। स्पष्ट है कि सम्बन्धित मण्डलों द्वारा विभिन्न विभागों/एजेन्सियों से निक्षेप शीर्ष के अंतर्गत निधि पूर्व अपेक्षित औपचारिकताओं तथा स्वीकृत आधारभूत संरचना के कार्य के निष्पादन हेतु भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना प्राप्त की गई जो कि उपरोक्त नियमों के प्रावधानों के विपरीत था। सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं ने इन तथ्यों को (अगस्त 2011-जनवरी 2012) स्वीकारा।

2.3.6 विगत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को राज्य विधानसभा से अनुदान/विनियोजन के अतिरिक्त आधिक्य को नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय नियमनार्थ कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परन्तु व्यय के आधिक्य का नियमन लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। तथापि, 2008-2011 वर्षों हेतु ₹3681.96 करोड़ की राशि के व्यय आधिक्य का नियमन अभी किया जाना था (परिशिष्ट-2.3)। नियमन के लिए लम्बित आधिक्य व्यय की वर्षावार राशि नीचे सारांशित की गई है:

तालिका-2.6

विगत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निर्मांकित की संख्या		प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य राशि	नियमन स्थिति
	अनुदान	विनियोजन		
2008-09	11	3	556.52	लोखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेज दी गई। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
2009-10	19	1	887.80	वित्त विभाग से स्वयंमेव उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
2010-11	19	2	2237.64	07 जुलाई, 2012 से चर्चा के लिए नियत है। वित्त विभाग से स्वयंमेव उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
योग			3681.96	

⁴ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (2): ₹1.37 करोड़ एवं स्वास्थ्य उप-केन्द्र (1): ₹0.18 करोड़

⁵ अर्का: ₹0.47 करोड़; चौपाल: ₹0.20 करोड़; निरमण: ₹0.78 करोड़; टौणी देवी: ₹0.35 करोड़ और उदयपुर: ₹0.80 करोड़

⁶ विद्यालय भवनों/विज्ञान प्रयोगशालाओं/छात्रवास भवनों/खेल परियोरों/चार दीवारी निर्माण: 12; सड़कों/पुलों/पैदल पथ पारों का निर्माण: 10; अस्पतालों में एच एस सी/औषधालयों/धोबीघाटों तथा अस्पताल के चारों ओर दीवार का निर्माण: 7; आई टी आई भवन/अचेदक भवन/बस स्टैंपड/टाइप-III क्वार्टर: 5; और इन्डोर स्टेडियम/व्यायामशाला: 3

2.3.7 वर्ष 2011-12 के दौरान प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

वर्ष 2011-12 के दौरान विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत अनुदान/विनियोजन की तुलना में छः अनुदानों तथा एक विनियोजन में कुल ₹752.51 करोड़ का अधिक व्यय किया गया (परिशिष्ट-2.4)। संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत अधिक व्यय का विनियमन करना अपेक्षित है।

2.3.8 अनावश्यक/अधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान सात मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹50 लाख से अधिक, प्राप्त समग्र ₹41.16 करोड़ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर से ऊपर नहीं आया (परिशिष्ट-2.5)। तीन मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) प्राप्त ₹390.83 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान ₹179.76 करोड़ (परिशिष्ट-2.6) के कुल अनावृत्त आधिक्य व्यय को छोड़ते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ। अनावृत्त आधिक्य में से ₹112.23 करोड़ (62 प्रतिशत) अकेले अनुदान क्रम-23-विद्युत विकास पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग द्वारा खर्च किये गए।

2.3.9 निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई से जहां बचतें प्रत्याशित हैं, दूसरी इकाई को जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, अनुदान में निधियों का अंतरण है। अविवेकी पुनर्विनियोजन अधिक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके फलस्वरूप 198 उप-शीर्षों में ₹10 लाख से अधिक की बचतें/आधिक्य हुआ। इनमें से 50 उप-शीर्षों में आधिक्य/बचत ₹ दो करोड़ से अधिक की थी (परिशिष्ट-2.7)।

तीन मामलों में पाई गई ₹100 करोड़ और इससे अधिक की पर्याप्त बचतें/आधिक्य जहां पुनर्विनियोजन किया गया था, सूचित करता है कि सम्बन्धित स्कीमों के अंतर्गत 2011-12 के बजट में आकलित व योजनाबद्ध के अनुसार खर्च नहीं किया जा सका।

2.3.10 अस्पष्ट पुनर्विनियोजन

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 13.3 (ख) के अनुसार अतिरिक्त व्यय तथा बचतों हेतु कारणों को पुनर्विनियोजन विवरणी में इस तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यदि “यात्रा भत्तों” के अन्तर्गत आधिक्य होते हैं तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों अतिरिक्त यात्रा भत्ते का अनुमान नहीं लगाया जा सका तथा इसकी लागत को वहन करने हेतु प्रावधान नहीं किया गया और यह क्यों आवश्यक था। तथापि, वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन के आदेशों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 899 मद्दें जहां पुनर्विनियोजन मांगा गया था, (विनियोजन लेखे/आदेशों में बताई गई 3,915 मद्दों में से 23 प्रतिशत) के सम्बन्ध में ऐसे पुनर्विनियोजन हेतु दिए गए कारण जैसे “प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन”, “दैनिक भोगी स्टॉफ की अधिक/कम नियुक्ति”, “स्टॉफ द्वारा अधिक/कम दौरा करना” तथा “किराया, दरों व कर बिलों की अधिक/कम प्राप्ति” सामान्य प्रकृति के थे।

2.3.11 पर्याप्त अभ्यर्पण

स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन न करने अथवा धीमे कार्यान्वयन से 50 उप-शीर्षों (परिशिष्ट-2.8) के सम्बन्ध में पर्याप्त अभ्यर्पण (मामले जहां कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पण किया गया) किया गया। इन 50 स्कीमों में ₹328.77 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹233.18 करोड़

(71 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 19 स्कीमों (₹71.05 करोड़) में शत प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित था (परिशिष्ट-2.9)।

इसके अतिरिक्त, 18 मामलों में जिसमें प्रत्येक मामले में अभ्यर्पण ₹10 करोड़ से अधिक था 31 मार्च 2012 को ₹734.01 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था (परिशिष्ट-2.10)।

मार्च 2012 के अन्तिम दिन निधियों का अभ्यर्पण अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है जो आवश्यकता वाले क्षेत्रों में अन्य विकासात्मक उद्देश्यों हेतु निधियों की अप्रयुक्ति की ओर अग्रसर करता है।

2.3.12 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए अभ्यर्पण आदेश की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि नौ मामलों में अभ्यर्पित की गई राशि (प्रत्येक मामले में ₹50 लाख अथवा अधिक) सम्बन्धित शीर्षों के प्रति पंजीकृत वास्तविक बचतों से अधिक थी जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी अथवा अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को इंगित करता है। इन मामलों में पाई गई ₹155.70 करोड़ की पंजीकृत बचतों के प्रति अभ्यर्पित राशि ₹406.39 करोड़ थी जिसके फलस्वरूप ₹250.69 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हुआ (परिशिष्ट-2.11)। सम्बद्ध विभागों से बचतों से अधिक अभ्यर्पण के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

2.3.13 प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण न करना

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बचतें, जब कभी प्रत्याशित हों, व्यय करने वाले विभाग द्वारा 15 जनवरी तक वित्त विभाग को अवश्य अभ्यर्पित की जानी चाहिए। तथापि, यह देखा गया है कि निम्नलिखित अनुदानों में ₹271.33 करोड़ की कुल बचतों में से केवल ₹192.41 करोड़ अभ्यर्पित की गई। वित्त विभाग को ₹78.92 करोड़ (29 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं किया गया जैसा कि तालिका-2.7 में व्यौग्र दिया गया है।

तालिका-2.7

अभ्यर्पित नहीं किया गया ₹ एक करोड़ और उससे अधिक की बचत से सम्बन्धित मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
1.	05-भू-राजस्व जिला प्रशासन	65.55	62.54	3.01
2.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	51.22	--	51.22
3.	12-बगवानी	10.75	8.80	1.95
4.	14-पशुपालन, दुर्घ विकास एवं मत्स्य पालन	6.42	2.57	3.85
5.	16-वन एवं बन्य प्राणी	48.36	45.01	3.35
6.	20-ग्रामीण विकास	75.07	72.76	2.31
7.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	13.96	0.73	13.23
योग		271.33	192.41	78.92

2.3.14 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समाप्त मास में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए। इसके विपरीत, 24 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में (परिशिष्ट 2.12) ₹10 करोड़ से अधिक का व्यय तथा वर्ष हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत से भी अधिक मार्च 2012 माह

में खर्च किया गया। मुख्य शीर्षों का विवरण जहां व्यय 50 प्रतिशत से अधिक या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान किया गया, **तालिका-2.8** में नीचे दिया गया है।

तालिका-2.8
वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2012 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	2225	84.97	53.99	64	43.77	52
2.	3604	11.97	10.43	87	10.43	87
3.	4216	17.46	11.70	67	11.70	67
4.	4700	58.56	31.03	53	12.07	21
5.	4702	151.60	92.12	61	92.12	61
6.	4801	206.50	200.00	97	42.25	20
योग		531.06	399.27	75	212.34	40

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2011-12 के दौरान पूर्वोक्त मुख्य शीर्षों के प्रति खर्च किए गए कुल व्यय का 75 प्रतिशत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त चार मामलों में कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय अकेले मार्च 2012 माह में किया गया। सशक्त वित्तीय प्रबन्धन हेतु व्यय की समरूप गति को बनाए रखना चाहिए। इस प्रकार, वित्तीय नियमन की प्रवृत्ति के विपरीत वर्ष के अंत में विभाग द्वारा खर्च की गई पर्याप्त राशि व्यय पर प्रभावी नियंत्रण की कमी तथा निकृष्ट वित्त प्रबन्धन का सूचक था।

2.4 विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना

2.4.1 बिलों के प्रस्तुतीकरण में लम्बन

हिमाचल प्रदेश खजाना नियमावली के नियम 5.74 और 5.75 के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल में प्रमाणित करना होता है कि उस बिल की तिथि से एक मास से अधिक समय से आहरित आकस्मिक बिलों के सम्बन्ध में विस्तृत बिलों को कोषाधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उसी वित्तीय वर्ष जिसमें यह आहरित किए गए हैं, के दौरान अग्रिम को समायोजित करवाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का है। 32 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा मार्च 2012 तक सार आकस्मिक बिलों पर आहरित ₹35.44 करोड़ में से 31 जुलाई 2012 तक प्राप्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की कुल राशि ₹12.68 करोड़ थी जिसके फलस्वरूप ₹22.76 करोड़ के बकाया शेष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा में समायोजन हेतु लंबित थे। वर्षवार एवं विभागवार ब्यौरा **परिशिष्ट-2.13** में दिया गया है।

यह देखा गया कि अधिकांश सार आकस्मिक बिलों का औषधियों/वाहनों की खरीद, पेट्रोल, तेल व स्नेहक पर व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु आहरण किया जा रहा था। बकाया सार आकस्मिक बिलों का समायोजन न होने का कारण सम्बन्धित विभागों के विभिन्न कार्यकर्ताओं से वाउचरों/व्यय के विस्तृत लेखों की प्राप्ति न होना था।

सार आकस्मिक बिलों के आहरण पश्चात् दीर्घावधियों हेतु विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का समायोजन न होने से दुर्विनियोजन का जोखिम बना रहता है और इनका ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किए जाने की आवश्यकता है।

2.5 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

व्यक्तिगत निक्षेप लेखों को समेकित निधि को डेबिट द्वारा सृजित किया जाता है और उसे समेकित निधि में सम्बद्ध सेवा शीर्षों को शेष के माइनस डेबिट द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए।

महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय हिमाचल प्रदेश से प्राप्त सूचना से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2011-12 के आरम्भ में 14 जिलाकोषों के 132 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन किया जा रहा था। 31 मार्च 2012 को इन लेखों में पड़े शेष की स्थिति निम्नवत् है:

- वर्ष के दौरान ₹73.90 करोड़ (₹5.73 लाख के ऋणात्मक शेष वाले नौ व्यक्तिगत निक्षेप लेखों सहित) के शेष वाले 59 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- चालू वर्ष के दौरान ₹1.04 करोड़ (₹0.16 लाख के ऋणात्मक शेष वाले एक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा सहित) की राशि से अन्तर्गत 73 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में नहीं थे। इनमें से ₹3.01 लाख के शेष वाले 10 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे पांच वर्षों से अधिक से परिचालन में नहीं थे।
- व्यक्तिगत निक्षेप लेखे सामान्य रूप से क्रेडिट शेष के साथ बन्द होने चाहिए क्योंकि निक्षेप के प्रति भुगतान प्राप्त निक्षेपों से बढ़ना नहीं चाहिए। दस मामलों (परिशिष्ट-2.14) में ₹5.89 लाख के प्रतिकूल शेष थे जिनकी जांच तथा संशोधन किया जाना अपेक्षित था।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में निधियों को रखने की प्रथा निधियों के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ाती है और इसे रोकने की आवश्यकता है।

2.6 चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम

एक अनुदान⁷ (अनुदान संख्या-13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता) की समीक्षा (जुलाई-अगस्त 2012) के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु उद्घाटित हुए:

2.6.1 बजट एवं व्यय

2011-12 के दौरान अनुदान के अंतर्गत आवंटित निधियों एवं किये गये व्यय की पूर्ण स्थिति तालिका-2.9 में नीचे दी गई है:

तालिका-2.9

(₹ करोड़ में)

	कुल अनुदान	किया गया व्यय	आधिकर्य (+) / बचतें (-)
राजस्व संवर्ग	1134.34	1485.05	(+) 350.71
पूंजीगत संवर्ग	371.71	351.52	(-) 20.19
योग	1506.05	1836.57	(+) 330.52

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

⁷ मुख्य शीर्षों 2059-लोक निर्माण, 2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता, 2216-आवास, 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई एवं 2711-राजस्व संवर्ग के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण तथा निकास और 4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमाण्ड क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय तथा 4711-पूंजीगत संवर्ग में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय सहित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि अनुदान के अंतर्गत बजट प्रावधान ₹1506.05 करोड़ (राजस्व संवर्ग: ₹1134.34 करोड़ एवं पूंजीगत संवर्ग: ₹371.71 करोड़) के प्रति ₹1836.57 करोड़ (राजस्व संवर्ग: ₹1485.05 करोड़ एवं पूंजीगत संवर्ग: ₹351.52 करोड़) का व्यय किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप राजस्व संवर्ग के अंतर्गत ₹350.71 करोड़ के आधिक्य व्यय तथा पूंजीगत संवर्ग के अंतर्गत ₹20.19 करोड़ की बचत हुई जैसा कि आगे वर्णित परिच्छेद में चर्चा की गई है।

2.6.2 अवास्तविक आकलन के कारण बजट प्रावधान में आधिक्य

2011-12 के दौरान पांच मुख्य शीर्षों के अंतर्गत (तालिका-2.10) ₹1133.66 करोड़ के प्रावधान के प्रति ₹1484.37 करोड़ का व्यय हुआ। जिसके परिणामस्वरूप ₹350.71 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। यह देखा गया है कि यह भारी बढ़त मुख्य शीर्ष-2215 के अंतर्गत उच्चत शीर्षों में इकट्ठे हुए ₹250.13 करोड़ (स्टॉक उच्चत: ₹90.84 करोड़ तथा विविध लोक निर्माण अग्रिम: ₹159.29 करोड़) के कारण हुई। यह अवास्तविक आकलन एवं अकुशल योजना को दर्शाता है। राजस्व संवर्ग के दत्तमत प्रावधान पर आधिक्य व्यय ₹350.71 करोड़ का नियमितिकरण अपेक्षित है। प्रावधान के प्रति आधिक्य व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

तालिका-2.10

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	कुल प्रावधान पर आधिक्य(+)/ बचत(-)
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	जोड़		
राजस्व संवर्ग (दत्तमत)							
1.	2215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	779.49	--	12.87	792.36	1091.44	299.08
2.	2700-मुख्य सिंचाई	9.67	--	8.03	17.70	29.80	12.10
3.	2701-मध्यम सिंचाई	6.61	--	0.24	6.85	6.47	(-) 0.38
4.	2702-लघु सिंचाई	333.33	--	(-) 16.84	316.49	318.64	2.15
5.	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं निकास	4.56	--	(-) 4.30	0.26	38.02	37.76
योग		1133.66	--	--	1133.66	1484.37	350.71

स्रोत: महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश

2.6.3 अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

विभाग द्वारा चार मुख्य शीर्षों (तालिका-2.10) के अंतर्गत ₹350.71 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता के प्रति कोई अनुपूरक प्रावधान प्राप्त नहीं किया गया। यह अवास्तविक आकलन को दर्शाता है। मुख्य अभियन्ता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग से अनुपूरक प्रावधान प्राप्त न करने के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

2.6.4 बिना प्रावधान के किया गया व्यय

बजट नियमावली के अनुसार योजना/सेवा पर निधियों के प्रावधान के बिना व्यय नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी देखा गया कि 11 मामलों, जिनकों तालिका-2.11 में दर्शाया गया है, में बिना मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में बिना प्रावधान के तथा बिना पुनर्विनियोजित आदेशों के ₹60.41 करोड़ का व्यय किया गया।

तालिका-2.11

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	प्रावधानों पर आधिक्य
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
1.	2711-01-799-01	3.00	--	(-) 3.00	--	35.65	35.65
2.	2711-01-799-02	0.60	--	(-) 0.60	--	1.05	1.05
3.	2711-01-799-03	0.70	--	(-) 0.70	--	1.06	1.06
4.	4701-01-799-01	--	--	--	--	0.45	0.45
5.	4701-01-799-02	--	--	--	--	0.15	0.15
6.	4701-03-799-03	--	--	--	--	0.04	0.04
7.	4701-15-799-02	--	--	--	--	0.05	0.05
8.	4701-15-799-03	--	--	--	--	0.05	0.05
9.	4702-00-799-01	--	--	--	--	16.79	16.79
10.	4702-00-799-02	--	--	--	--	1.79	1.79
11.	4702-00-799-03	--	--	--	--	3.33	3.33
	योग	4.30	--	(-) 4.30	--	60.41	60.41

स्रोत: महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश

वित्त विभाग से बिना प्रावधान के किये गये व्यय के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

2.6.5 अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

2011-12 के दौरान मुख्य शीर्ष (2701-मध्यम सिंचाई) के अन्तर्गत ₹0.24 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि ₹6.47 करोड़ का व्यय मूल प्रावधान ₹6.61 करोड़ के स्तर पर नहीं पहुंच पाया अंततः ₹0.38 करोड़ की बचत के रूप में परिलक्षित हुआ। इसके अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन प्राप्त करते हुए मुख्य शीर्ष 2711-बाढ़ नियंत्रण एवं निकास के अन्तर्गत ₹4.30 करोड़ का अविवेकपूर्ण आहरण किया गया क्योंकि 2011-12 के दौरान मूल प्रावधान ₹4.56 करोड़ के प्रति ₹33.46 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ (तालिका-2.12)।

तालिका-2.12

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	कुल प्रावधान पर आधिक्य(+)/ बचत (-)	मूल प्रावधान और व्यय में अन्तर
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग			
1.	2701-मध्यम सिंचाई	6.61	--	0.24	6.85	6.47	(-) 0.38	(-) 0.14
	योग (i)	6.61	--	0.24	6.85	6.47	(-) 0.38	(-) 0.14
2.	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं निकास	4.56	--	(-) 4.30	0.26	38.02	37.76	33.46
	योग (ii)	4.56	--	(-) 4.30	0.26	38.02	37.76	33.46

स्रोत: महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश

इस तरह से निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन एक कमजोर वित्त प्रबन्धन को दर्शाता है।

2.6.6 अभ्यर्पणों का आधिक्य

वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदान के पूँजीगत संबंध के अन्तर्गत ₹371.71 करोड़ के प्रावधान के प्रति ₹351.52 करोड़ का व्यय किया गया (तालिका-2.9)। तथापि विभाग ने (मार्च 2012) ₹20.19 करोड़ की बचत के प्रति ₹43.04 करोड़ का अनुचित अभ्यर्पण किया। ₹22.85 करोड़ का आधिक्य अभ्यर्पण कमजोर वित्त व्यवस्था प्रतिबिम्बित करता है। इस प्रकार, निधियों के आधिक्य अभ्यर्पण के कारण ₹22.85 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ (तालिका-2.13)। मुख्य अभियन्ता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग से अभ्यर्पणों के आधिक्य के कारण एवं उनका नियमन प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

तालिका-2.13

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	कुल प्रावधान पर आधिक्य
		मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
पूँजीगत संबंध (दत्तमत)							
1.	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	117.00	--	--	117.00	117.12	0.12
2.	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	26.25	--	32.30	58.55	58.56	0.01
3.	4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	56.23	--	(-) 10.49	45.74	46.52	0.78
4.	4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	90.23	--	(-) 8.96	81.27	103.21	21.94
	योग	289.71	--	12.85	302.56	325.41	22.85

2.6.7 व्यय का तीव्र प्रवाह

राज्य सरकार ने होने वाले व्यय के प्रतिशत का निर्धारण तिमाही-वार किया है (सितम्बर 1995)। जहां तक अनुदान क्रम-13 का सम्बन्ध है, 2011-12 के दौरान निर्धारित तिमाहीवार व्यय का सुनियोजन नहीं किया गया जिसका वर्णन निम्न तालिका में किया गया है:

तालिका-2.14

(₹ करोड़ में)

माह	व्यय	तिमाही	तिमाही के दौरान व्यय के लिए निर्धारित मानक (प्रतिशत)	तिमाही में किया गया व्यय	वास्तविक व्यय का प्रतिशत
4/2011	12.74	पहली	20	296.76	16
5/2011	188.72				
6/2011	95.30				
7/2011	119.61	दूसरी	25	299.55	16
8/2011	89.60				
9/2011	90.34	तीसरी	30	396.91	22
10/2011	102.22				
11/2011	114.43				
12/2011	180.26	चौथी	25	843.35	46
1/2012	149.45				
2/2012	202.25				
3/2012	491.65				
योग	1836.57			1836.57	

स्रोत: महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है कि विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के प्रति सशक्त न होने के कारण 46 प्रतिशत व्यय का तीव्र प्रवाह वित्त वर्ष 2011-12 की अन्तिम तिमाही में देखने को मिला और अकेले मार्च 2012 माह में यह अनुदान के कुल व्यय का 27 प्रतिशत (₹1836.57 करोड़) था। यह मात्र

आबंटन योजना और निधियों के उपयोग में कमी को ही नहीं दर्शाता बल्कि व्यय नियंत्रण प्रणाली के अभाव को भी दर्शाता है।

वर्ष के अन्त में व्यय के तीव्र प्रवाह से व्यय निष्फल, निरर्थक व अप्रवीण योजना को परिणित हो सकता है। विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां तक व्यवहारिक हो निधियों का व्यय निर्धारित मानकों के अनुसार पूरे वर्ष समरूप होना चाहिए ताकि वित्त वर्ष के अन्त में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचा जा सके।

2.6.8 बिना प्रावधान के साख पत्र

वर्ष 2011-12 के दौरान वित्त विभाग द्वारा सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियन्ता को मुख्य शीर्ष 2215-01-102-03 एसओओ एन-एसओई-70-ऊर्जा शुल्क (योजना) के अन्तर्गत बिना किसी बजट प्रावधान के ऊर्जा शुल्क से सम्बन्धित खर्चों हेतु ₹18.87 करोड़ का साख पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत (मार्च 2012) किया गया। चूंकि अनुदान के अन्तर्गत व्यय राज्य विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत कुल विनियोजन से अधिक हो गया, वित्त विभाग द्वारा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को बिना किसी निधि प्रावधान के साख पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत करने की कार्रवाई राज्य वित्त नियमावली के नियम 37(3) के विरुद्ध थी। बिना बजट प्रावधानों के साख पत्र जारी करने के कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2012)।

2.6.9 बजटीय विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष को बजट आकलन तथा आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों का ब्यौरा वित्त विभाग को क्रमशः 25 अक्टूबर तथा एक दिसम्बर तक प्रस्तुत करना होता है। तथापि यह देखा गया है कि सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियन्ता ने 2011-12 के दौरान बजट आकलन तथा आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों का ब्यौरा क्रमशः 30 जनवरी 2012 तथा 18 फरवरी 2012 को प्रस्तुत किया जिसके कारण क्रमशः 96 दिनों और 78 दिनों का विलम्ब हुआ। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 2011-12 के दौरान विभाग द्वारा बजटीय प्राक्कलनों तथा आधिक्यों एवं अभ्यर्पणों के प्रस्तुतीकरण के लिए निर्धारित समयसारणी का अनुकरण नहीं किया गया।

2.6.10 वित्त विभाग को दायित्व विवरणियां प्रस्तुत न करना

वर्ष 2011-12 के दौरान सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के मुख्य अभियन्ता द्वारा हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार व्यय पर प्रभावी नियंत्रण तथा सही बजट प्राक्कलन तैयार करने के लिए दायित्व विवरणियां वित्त विभाग को नहीं भेजी गईं।

मुख्य अभियन्ता द्वारा बजट नियमावली के अनुसार अप्रकट/अनुमुक्त देयताओं पर नजर रखने हेतु अपेक्षित दायित्व पंजिका अनुरक्षित नहीं की गई थी।

2.7 निष्कर्ष

वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदानों/विनियोजन के अंतर्गत कुल ₹19.56 करोड़ की पंजीकृत बचतें ₹752.51 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित ₹772.07 करोड़ की बचत का शुद्ध परिणाम था। इस प्रकार ₹752.51 करोड़ के आधिक्य व्यय का राज्य विधानमण्डल से नियमन करवाना अपेक्षित है।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में विगत पांच वर्षों के दौरान दो अनुदानों अर्थात् लोक निर्माण तथा पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य के अंतर्गत निरन्तर किए गए अधिक व्यय को इंगित किया गया था। यह अनियमितता अभी भी निरन्तर थी क्योंकि 2011-12 के दौरान बजटीय प्रावधानों से आधिक्य में अनुदान क्रम 10- लोक निर्माण- सङ्क, पुल एवं भवन पर ₹221.99 करोड़ खर्च किया गया। इसके अतिरिक्त अनुदान क्रम 13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं निकास में भी पिछले पांच वर्षों से निरन्तर भारी अधिक्य दर्ज किया गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन अनुदानों (03-न्याय प्रशासन, 15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना तथा 29-वित्त) के अन्तर्गत लगातार बचतें हुईं।

वर्ष 2011-12 के दौरान सात मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹50 लाख अथवा इससे अधिक) प्राप्त कुल ₹41.16 करोड़ का अनुप्रूक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय को पूरा करने के लिए मूल प्रावधान बिल्कुल पर्याप्त था। नौ मामलों में अभ्यर्पित राशि (प्रत्येक मामले में ₹50 लाख अथवा इससे अधिक) वास्तविक बचत से अधिक थी। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय के तीव्र प्रवाह, जो विभागों में बजटीय नियंत्रण का अभाव अथवा अपर्याप्तता को इंगित करता है, के अतिरिक्त अपर्याप्त प्रावधान तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजनों के दृष्टांत थे। निक्षेप लेखों और व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में निधियों का अवरोधन निधियों के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ाता है और इसे रोकने की आवश्यकता है। बचतों का या तो अभ्यर्पण न करने अथवा वित्त वर्ष के बिल्कुल अंत में अभ्यर्पण करने से दूसरे आवश्यकता वाले क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों हेतु निधियों का उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

2.8 सिफारिशें

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- सभी विभागों को व्यय की प्रवृत्ति एवं निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वास्तविक बजट आकलन प्रस्तुत करने चाहिए ताकि बड़ी बचतों/अधिक्यों से बचा जा सके।
- सभी विभागों को आबंटनों के प्रति व्यय पर गहनता के साथ निगरानी रखनी चाहिए और अनुदानों से अधिक होने वाले व्यय को कड़ाई के साथ रोकना चाहिए।
- सभी विभागों को बचतों का पहले से ही निर्धारण एवं उसके अन्य विभागों द्वारा अपेक्षित निधियों के प्रभावी उपयोग हेतु अनुबद्ध तिथि तक अभ्यर्पण करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- सार आकस्मिक बिलों पर लिखे गए अग्रिमों का समायोजन विद्यमान नियमानुसार अनुबद्ध अवधि के भीतर करने हेतु विभागों में एक अनुश्रवण प्रणाली हो।